भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1329
28.06.2019 को उत्तर के लिए

नदियों और झीलों में प्रदूषण

1329. श्री ए. राजा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन नदियों और झीलों का ब्यौरा क्या है जो तमिलनाडु सहित देशभर में प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;
(ख) प्रदूषण पर अंकुश लगाने और इन नदियों और झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है;
(ग) देश में तमिलनाडु सहित विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निर्धरित किए गए लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का इन मुद्दों पर शीघ्र समाधन करने के लिए कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबूल सुप्रियो)

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (सीपीसीबी) के साथ नदियों के जल की गुणवत्ता की निगरानी नियमित आधार पर करता है। सीपीसीबी द्वारा सितम्बर, 2018 में प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार, जैविक-प्रदूषण के एक प्रमुख संकेतक, जैव-रासायनिक आक्सीजन मांग (बीओडी) स्तर के आधार पर देश के कुल 351 प्रदूषित नदी भागों में से तमिलनाडु में अभिज्ञात किए गए के 6 प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्र निम्नलिखित हैं।

क्र.सं.	नदी	अभिज्ञात प्रदूषित नदी भाग
1	कावेरी	मीटूर से मइलाधथुरई
2	सरबांगा	थथायमपट्टी से टी. कोंगापाडी
3	थिरूमनीमूथर	सलेम से पप्परापट्टी तक
4	वसिसटा	मनिवलुन्धन से थियागनुर
5	भवानी	सिरुमुगाई से कलिंगारायण तक
6	तंबीरापानी	पप्पनकुलम से अरूमूगनेरी

आर्द्र भूमियों और झीलों के संबंध में जलीय पारि-प्रणाली के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) के तहत झीलों सहित कुल 180 आर्द्र भूमियों को संरक्षण और प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। इनमें से

तमिलनाडु के लिए 2 झीलों (ऊटी झील और कोडाईकनाल झील) और 3 आर्द्र भूमियों (प्वाइंट केलीमेर, केलीवेले और पलाई करनाई) को प्राथमिकता दी है।

(ख) और (ग): विभिन्न नदियों के साथ-साथ शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों को करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और स्कीम दिशा-निर्देशों के साथ उनकी अनुरूपता, प्रदूषण स्थिति, प्राथमिकता, स्वतंत्र संस्थानों द्वारा मूल्यांकन और योजना निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत वित्तीय सहायता हेतु उन पर विचार किया जाता है। एनआरसीपी (गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर, जिनका प्रबंधन दिनांक 01.08.2014 से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा देखा जाता है} एनआरसीपी ने 908.13 करोड़ की राशि पर तमिलनाडु राज्य सहित 5870.54 करोड़ रूपये की स्वीकृत लागत पर 16 राज्यों में फैले हुए 77 कस्बों में 34 नदियों के प्रदूषित प्रवाह क्षेत्रों को कवर किया है। अभी तक विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को 2378.73 करोड़ रू. की केन्द्रीय राशि जारी की गई है 2522.03 और (मिलियन लीटर प्रतिदिन) (एमएलडी) की शोधन क्षमता सृजित की गई है जिसमें से तमिलनाडु में 477.66 (एमएलडी) है। एनआरसीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

राज्य सरकारें अपने बजटीय आंवटन के अलावा, अटल संरक्षण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम और जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विभिन्न शहरो/कस्बों में मलजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) सहित मलजल संबंधी आधारभूत संरचना के सृजन के लिए भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। नगरीय अपशिष्ट जल को नदियों में गिराए जाने से पहले उसका समुचित शोधन सुनिश्चित करने हेतु सीपीसीबी द्वारा अप्रैल, 2015 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 1 (ख) के तहत तमिलनाडु सहित देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को अपने-अपने राज्यों में एसटीपी की स्थापना के लिए निदेश जारी किए गए हैं। सीपीसीबी द्वारा नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए मल-जल का उचित शोधन और निपटान सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत अक्तूबर, 2015 में 184 महनगरों (66) मेट्रों शहर और राज्य की राजधानियों+ गंगा के साथ शहरों) के नगरीय प्राधिकरणों को भी निदेश जारी किए गए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के साझा लागत आधार पर देश में नमभूमियों (झीलों सहित) के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एनपीसीए नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में विभिन्न कार्यकलापों को शामिल किया गया है जैसे-अपशिष्ट जल का अंतरावरोध, अपवर्तन और शोधन, तटरेखा सुरक्षा, झील तट विकास, स्वास्थ्य, स्थानीय सफाई अर्थात् डिसिलटिंग और डिवीडिंग और तूफानी जल प्रबंधन, जैविक उपचार, आवाह क्षेत्र उपचार, झील सौंर्दयकरण, सर्वेक्षण एवं सीमांकन, जैव-बाड़ लगाना, मत्स्य विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैवविविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक प्रतिभगिता आदि।

देश में नमभूमियों के और अधिक प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों, संघशासित क्षेत्रों, केन्द्रीय अनुरूप मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके नमभूमियों (संरक्षण और प्रबंधन) नियमावली 2010 के अधिक्रमण में नमभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया है। नमभूमि नियमावली 2017 के अनुसार उपबंध 4 (2) के अंतर्गत कुछ

कार्यकलाप निषिध हैं जोकि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासन द्वारा अधिसूचित नमभूमियों और रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमियों' के रूप में श्रेणीबद्ध नमभूमियों, पर लागू हैं। झीलों और नमभूमियों में प्रदूषण उपशमन सहित संरक्षण कार्यकलापों के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी निधि का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ड.) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), प्रधानपीठ ने मूल आवेदन (ओ.ए) सं. 673/2018 में दिनांक 20.09.2018 को आदेश पारित किया है जिसमें सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) को निदेश दिया गया है कि वह सभी प्रदूषित नदी भागों को स्नान के स्तर पर लाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। संबंधित राज्य सरकार और संघशासित क्षेत्रों द्वारा गठित 'नदी संरक्षण समिति (आरआरसी) को कार्य योजना तैयार करने और अंतिम रूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

अनुबंध I

'झील में नदियों में प्रदूषण' के संबंध दिनांक 28.06.2019 को उत्तर के लिए पूछे लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1329 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनआरसीपी के तहत नदियों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को जारी राज्य-वार और वर्ष-वार निधियों का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	नदी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बजट आवंटन			**66.73**	**101.00**	**173.50**	**150.50**
1	गुजरात	साबरमती ,मिंडोला और तापी	24.12	71.40	62.00	63 .00 है
2	जम्मू और कश्मीर	देविका और तवी	-	-	-	30.00
3	महाराष्ट्र	मुला मुथा	4.99	21.00	31.75	-
4	पंजाब	घग्गर, ब्यास और सतलुज	17.61	-	50.00	-
5	केरल	पम्बा	5.00	-	-	-

6	मणिपुर	Nambul	-	-	-	3.00
7	सिक्किम	रानी चु	1.00	5.00	18.01	42.00
8	नगालैंड	दीफू और धनसिरी	10.00	-	5.00	5.00
9	ओडिशा	तटीय क्षेत्र (पुरी)	-	-	1.99	-
कुल			**62.72**	**97.40**	**168.75**	**143.00**

अनुबंध- II

'झील में नदियों में प्रदूषण' के संबंध दिनांक 28.06.2019 को उत्तर के लिए पूछे एक लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1329 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनपीसीए स्कीम के तहत नमभूमियों और झीलों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	बिहार	-	3.60724	6.5965	-
2	गुजरात	-	-	-	-
3	हरियाणा	0.652	0.1320	1.4264	-
4	हिमाचल प्रदेश	0.870	0.98989	-	-
5	जम्मू और कश्मीर	-	23.8201	0.86565	-
6	कर्नाटक	2.28	-	-	-
7	केरल	-	2.07075	-	-
8	मध्य प्रदेश	12.00	0.9240	4.24669	-
9	मणिपुर	1.031	0.9280	3.852	-
10	मिजोरम	0.585	0.9846	1.2153	-
1 1	महाराष्ट्र	-	8.74397	4.91942	-
12	नगालैंड	0.42	-	10	-
13	ओडिशा	0.399	6.1846	5.8072	-
14	पुडुचेरी	0.10	0.30	0.5	-
15	पंजाब	-	-	-	-

16	राजस्थान	13.56	1.54	-	-
17	सिक्किम	0.714	1.8374	3.11818	-
18	तमिलनाडु	-	1.05795	1.200884	-
19	उत्तर प्रदेश	26.172	2.50	18.680276	1.43
20	पश्चिम बंगाल	1.013	-	0.9965	-
	उप-योग	**59.796**	**55.6205**	**63.425**	1.43
	अनुसंधान एवं विकास	0.195825	0.342	0.5313106	0.15
	कुल खर्च)	**59.9918**	**55.9625**	**63.9563**	**1.58**